

का० ज्ञा० सं० II/12013/3/90-ग०भा० ( क-2 ), दिनांक 16.5.1990

विषय:— हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों की कार्यसूची में मंत्रालय/विभाग तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करना।

अध्योहस्ताक्षरी को इस विभाग के 5 फरवरी, 1990 के सम संख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञापन को निरस्त समझा जाए।

2. हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों की कार्यसूची में हिन्दी के प्रयोग के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रोफार्म इस विभाग के दिनांक 26 अप्रैल, 1988 तथा 25 अप्रैल, 1988/6.6.1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-20003/2/87-ग०भा० ( ख-1 ) के द्वारा परिचालित किये गये हैं। दिनांक 26.4.1988 के द्वारा परिचालित प्रोफार्म का इस विभाग के दिनांक 16.1.1990 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा मामूली संशोधन किया गया है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी हिन्दी सलाहकार समितियों की आगामी होने वाली बैठकों में इन्ही प्रोफार्म में जानकारी प्रस्तुत करें। मंत्रालय/विभाग में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित जानकारी अब दिनांक 26.4.1988 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की जगह दिनांक 16.1.1990 कार्यालय ज्ञापन के साथ ऐजे गये प्रोफार्म में और सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों से संबंधित ऐसी जानकारी दिनांक 25.4.88/6.6.88 के कार्यालय ज्ञापन के साथ जारी प्रोफार्म में प्रस्तुत किया करें, जैसा कि इस विभाग के दिनांक 4/12 जुलाई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/3/86-ग०भा० ( क-2 ) में भी सभी मंत्रालयों/विभागों को बताया जा चुका है।